

आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या / रिपोर्ट दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 के आधार पर जनपद बागेश्वर में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से बचर मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4914 है0 की दुगुनी अवनत वन भूमि 9828 है0 जो ग्राम चौड़ा पटवारी क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 121 के पैमाईशी खेत नम्बर 05 रकबा 14 246 है0, मट्टे 9828 है0 कुल रकबा 9828 है0 श्रेणी 9(3)ख (जंगल) के रूप में दर्ज भूमि को मैं जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173 / XVIII(1) / 2012-18(120) / 2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तरखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 494 / X-4-15 / 1(280) / 2015 दिनांक 03 जून, 2015 में दी गयी शर्तों के अधीन उक्त वर्णित 9828 है0 भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण किए जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

संख्या - 47 / छबींस वन / 2015-16 दिनांक 23 / 12 / 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 बागेश्वर (क्षेत्र कपकोट)।
- 3- उपजिलाधिकारी, कपकोट।

4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तान्तरण / नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अवोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।